Annexure –"E"

Interactive School Engagement Programme में विद्यार्थियों से पूछे गये सवाल–जवाब की सूची।

प्रश्न सं0 1 – मतदान करने का क्या महत्व है?

उत्तर – भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनप्रतिनिधि मतदान के द्वारा चयनित किये जाते है, जिसके लिए आम नागरिकों द्वारा मतदान किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को मतदान करने हेतु मतदाता बनना अनिवार्य है। मतदान के द्वारा हमें अपने अच्छे जनप्रतिनिधियों के चुनाव करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है।

प्रश्न सं0 2 – कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में कब निबंधित हो सकता है?

उत्तर – वह युवक या युवती जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिये हो वह मतदाता के रूप में निबंधित हो सकता है।

प्रश्न सं0 3 – मतदाता बनने की योग्यता क्या है?

उत्तर – प्रत्येक भारतीय व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो एवं किसी भी सामान्य निवास पर विगत छह महिने से निवास कर रहे है वह मतदाता बनने की योग्यता रखते है।

प्रश्न सं0 4 – अगर कोई व्यक्ति जो अपने गाँव से किसी अन्य शहर में काम करने गया हो तो क्या वह भी मतदाता बन सकता है?

उत्तर – यदि वह व्यक्ति मामूली तौर से कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास स्थान से कार्य करने हेतु किसी अन्य स्थान पर गया है तो वह अपने मूल निवास के पते पर ही मतदाता के रूप में निबंधित हो सकता है।

प्रश्न सं0 5 – यदि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाना हो तो क्या किया जाय ?

उत्तर – मतदाता सूची से नाम हटाने हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन जमा किया जाता है, जिसे जाँचोपरान्त संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची से नाम विलोपित किया जाता है।

प्रश्न सं0 6 – यदि मतदाता सूची में किसी का नाम, संबंधी का नाम अथवा पता गलत हो गया है, तो कैसे सुधार किया जायगा ?

उत्तर – मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अशुद्धि यथा – नाम, पता, संबंधी का नाम एवं उम्र आदि शुद्ध करने हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन जमा करना होता है।

प्रश्न सं0 7 – क्या एक जगह से अधिक जगहों पर मतदाता सूची में नाम निबंधित कराया जा सकता है?

उत्तर – नहीं। मतदाता सूची में एक स्थान से अधिक स्थानों पर नाम निबंधित कराना कानूनी अपराध माना गया है। इसके लिए जुर्माना एवं कारावास की सजा भी हो सकती है।

प्रश्न सं0 8 – EPIC का क्या अर्थ होता है ?

उत्तर – EPIC का अर्थ होता है Elector Photo Identity Card. इस कार्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के मतदाता होने का पहचान की जाती है।

प्रश्न सं0 9 – स्वीप क्या होता है ?

उत्तर – भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा मतदाताओं के जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम का संचालन पूरे देश में सभी जिलों एवं विधानसभा क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वैसे व्यक्ति जो निर्वाचन प्रणाली से अनभिज्ञ होते है उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है एवं उनमें जागरूकता लायी जाती है।

प्रश्न सं0 10 – BLO कौन होते है एवं उनका क्या कार्य होता है?

उत्तर – मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) मतदाता सूची बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करते है। उनका कार्य होता है कि वैसे सभी योग्य नागरिक जो मतदाता बनने की अर्हता रखते है उनका नाम मतदाता सूची में निबंधित करना। मतदाता सूची में सम्पादित होने वाले सभी कार्य यथा – निबंधन, विलोपन, संशोधन एवं स्थानान्तरण कार्य बी0एल0ओ0 के माध्यम से ही किये जाते है। वे क्षेत्र भ्रमण कर उक्त सभी कार्यों का सम्पादन करते है।

10/02/17

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह– उपायुक्त, पलामू।

(14) 89/152

75–पाँकी विधानसभा
स्कूल इन्टरेक्शन प्रोग्राम में पूछे गये सवाल व जवाब की सूची।

सं0	सवाल	जवाब
1	मतदाता सूची में नाम कब जोडवाया जा सकता है तथा योग्यता क्या है?	सतत् अद्ययतनीकरण के तहत सालोभर नाम जोड़े जा सकते हैं। आवेदक की अहर्त्ता आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन किसे देगे?	बी0एल0ओ0, बी0डी0ओ0 एस0डी0ओ0 को दे सकते हैं।
3	बी0एल0ओ0 की जानकारी कैसे होगी?	बी0एल0ओ0 की जानकारी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय से भी ली जा सकती है।
4	नाम किस प्रपत्र के माध्यम से जोड़ा जाता है?	प्रपत्र–6
5	मतदाता सूची के नाम जोड़ने हेतु कौन सी कागजात की आवश्यकता होती है?	उम्र एवं आवासीय कागजात तथा हाल का खीचा हुआ रंगीन फोटो।
6	18 साल से एक दिन भी उम्र कम रहने पर नाम क्यों नहीं जुड़ता है?	18 वर्ष कम होने पर अवयस्क की श्रेणी में आतें हैं निर्वाचन आयोग द्वारा आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
7	मतदान केन्द्र पर मतदान का समय क्यों निर्धारित रहता है?	चुनाव आयोग द्वारा मतदान की अवधि निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अवधि में ही मतदान सम्पन्न कराया जाता है कि समय पर मतपेटिकाओं/ई0भी0एम0 को बज्रगृह में जमा कराया जा सके।

B Singh
ERO,
75-Panki
9.2.17

(14)

76–डालटनगंज विधानसभा

स्कूल इन्टरेक्शन प्रोग्राम में पूछे गये सवाल व जवाब की सूची।

88/156

	सवाल	जवाब
	मतदाता सूची में नाम कब जोडवाया जा सकता है तथा योग्यता क्या है?	सतत् अद्यतयनीकरण के तहत सालोभर नाम जोड़े जा सकते हैं। आवेदक की अहर्त्ता आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन किसे देगे?	बी0एल0ओ0, बी0डी0ओ0 एंस0डी0ओ0 को दे सकते हैं।
	बी0एल0ओ0 की जानकारी कैसे होगी?	बी0एल0ओ0 की जानकारी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय से भी ली जा सकती है।
	नाम किस प्रपत्र के माध्यम से जोड़ा जाता है?	प्रपत्र–6
	मतदाता सूची के नाम जोड़ने हेतु कौन सी कागजात की आवश्यकता होती है?	उम्र एवं आवासीय कागजात तथा हाल का खीचा हुआ रंगीन फोटो।
	18 साल से एक दिन भी उम्र कम रहने पर नाम क्यों नहीं जुड़ता है?	18 वर्ष कम होने पर अवयस्क की श्रेणी में आतें हैं निर्वाचन आयोग द्वारा आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
7	मतदान केन्द्र पर मतदान का समय क्यों निर्धारित रहता है?	चुनाव आयोग द्वारा मतदान की अवधि निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अवधि में ही मतदान सम्पन्न कराया जाता है कि समय पर मतपेटिकाओं/ई0भी0एम0 को बज्रगृह में जमा कराया जा सके।

ERO,
76-Daltonganj
9.2.17

77—विश्रामपुर विधानसभा (4)

स्कूल इन्टरेक्शन प्रोग्राम में पूछे गये सवाल व जवाब की सूची।

	सवाल	जवाब
	मतदाता सूची में नाम कब जोडवाया जा सकता है तथा योग्यता क्या है?	सतत् अद्यतयनीकरण के तहत सालोभर नाम जोड़े जा सकते हैं। आवेदक की अहर्त्ता आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन किसे देगें?	बी0एल0ओ0, बी0डी0ओ0 एस0डी0ओ0 को दे सकते हैं।
3	बी0एल0ओ0 की जानकारी कैसे होगी?	बी0एल0ओ0 की जानकारी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं अनुमण्डल कार्यालय से भी ली जा सकती है।
4	नाम किस प्रपत्र के माध्यम से जोड़ा जाता है?	प्रपत्र—6
5	मतदाता सूची के नाम जोड़ने हेतु कौन सी कागजात की आवश्यकता होती है?	उम्र एवं आवासीय कागजात तथा हाल का खीचा हुआ रंगीन फोटो।
6	18 साल से एक दिन भी उम्र कम रहने पर नाम क्यों नहीं जुड़ता है?	18 वर्ष कम होने पर अवयस्क की श्रेणी में आतें हैं निर्वाचन आयोग द्वारा आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
7	मतदान केन्द्र पर मतदान का समय क्यों निर्धारित रहता है?	चुनाव आयोग द्वारा मतदान की अवधि निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अवधि में ही मतदान सम्पन्न कराया जाता है कि समय पर मतपेटिकाओं/ई0भी0एम0 को बज्रगृह में जमा कराया जा सके।

ERO,
77-Bishrampur
9.2.17

154

78- छतरपुर(अ0जा0) विधानसभा

स्कूल इन्टरेक्शन प्रोग्राम में पूछे गये सवाल व जबाब की सूची।

क्र0सं0	सवाल	जवाब
1.	मतदाता सूची में नाम कब जोड़वाया जा सकता है तथा योग्यता क्या है?	सतत् अद्यतीकरण के तहत् सालोभर नाम जोड़े जा सकते हैं। आवेदक की अहर्त्ता आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2.	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन किसे देंगे?	बी0एल0ओ0, बी0डी0ओ0, एस0डी0ओ0 को दे सकते हैं।
3.	बी0एल0ओ0 की जानकारी कैसे होगी?	बी0एल0ओ0 की जानकारी संबंधित प्रखण्ड कार्यालय एवं अनुमंडल कार्यालय से ली जा सकती है।
4.	नाम किस प्रपत्र के माध्यम से जोड़ा जाता है?	प्रपत्र-6
5.	मतदाता सूची के नाम जोड़ने हेतु कौन सी कागजात की आवश्यकता होती है?	उम्र एवं आवासीय कागजात तथा एक हाल का खींचा हुआ रंगीन फोटो ।
6.	18 साल से एक दिन भी उम्र कम रहने पर नाम क्यों नहीं जुड़ता है ?	18 वर्ष कम होने पर अवयस्क की श्रेणी में आते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा आयु 18 वर्ष निर्धारित है।
7.	मतदान केन्द्र पर मतदान का समय क्यों निर्धारित रहता है?	चुनाव आयोग द्वारा मतदान की अवधि निर्धारित किया जाता है। निर्धारित अवधि में ही मतदान सम्पन्न कराया जाता है कि समय पर मतपेटिकाओं/EVM को बज्रगृह में जमा कराया जा सके।

ERO,
78- Chhattarpur